हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : exam@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359300

क्रमांक/1655/गोपनीय/2020

दुर्ग, दिनांक 29/01/2020

//अधिसूचना//

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध महाविद्यालयों के परीक्षा एवं अन्य विश्वविद्यालयीन कार्यों से आने वाले प्राध्यापकों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार यात्रा की अनुमति के साथ निम्नानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

1. प्राध्यापकों को प्रायोगिक परीक्षा के कार्य या अन्य विश्वविद्यालयीन कार्यों के लिए यात्रा भत्ता छ.ग. यात्रा भत्ता, नियमों से संबंधित पूरक नियमों के अंतर्गत अथवा लोक समयानुसार छ.ग. शासन द्वारा तात्कालीन लागू प्रावधानों के अंतर्गत देय होगा।
2. प्राध्यापकों को नियमानुसार एवं पात्रतानुसार भारतीय रेल से अथवा लोक वाहन द्वारा सड़क यात्रा की पात्रता होगी।(रेल/बस का यात्रा टिकट प्रस्तुत करने पर)
3. प्राध्यापकों को दोनों स्थान रेल से न जुड़े होने पर नियमानुसार एवं पात्रतानुसार मील भत्ते की दर पर स्वयं के वाहन से अथवा टैक्सी से यात्रा करने की पात्रता होगी।
   A. स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर स्वयं के अथवा पति/पत्नी के नाम से वाहन पजीकृत होने का प्रमाण आर. सी. बुक की छायाप्रति संलग्न करना होगा साथ ही यात्रा देयक में वाहन का पंजीयन क्रमांक दर्ज कर स्व प्रमाणित करना होगा।
   B. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई हो तथा उसकी रसीद प्रस्तुत की गई हो।
4. यदि दोनो स्थान रेल से जुड़े हो तो स्वंय के वाहन से या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा प्राध्यापक द्वारा रेल यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराए से सीमित किया जाएगा। (इनमें से जो भी कम होगा वह देय होगा)
5. इस संबंध में प्राचार्य/अध्ययनशाला प्रमुखों को की गई यात्रा देयक को प्रमाणित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
6. उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों से अलग परिस्थिति में अथवा किसी अन्य तथ्यों के संबंध में यात्रा करने की अनुमति/पूर्वानुमति के लिए पूर्ववत लागू नियमों के अनुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
7. एक ही स्थान के लिए एक से अधिक बार लगातार दिनों में यात्रा करने पर केवल एक बार यात्रा भत्ता देय होगा। जबतक की अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो। (कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/1656/परीक्षा /2020

दुर्ग, दिनांक 29/01/2020

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति जी के निज सहायक को इस आशय के साथ उक्त अधिसूचना को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत।
2. उपकुलसचिव प्रशासन एवं सहायक कुलसचिव अकादमिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
3. वित्त अधिकारी हेमचंद विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
4. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

उप कुलसचिव (गोपनीय)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

यात्रा भत्ता दर

वित्त विभाग के आदेश क्र. 45/सी–18029/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 01.03.2011 (छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में)/क्र. 424/एफ 2016–04–03194/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2016 उसके पश्चात् की जाने वाली यात्राओं के लिये लागू

क्र.	ग्रेड वेतन सीमा	एक्स श्रेणी (दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, , चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर)	वाय श्रेणी (रायपुर, दुर्ग, भिलाई एवं राज्य के बाहर)	जेड श्रेणी (सामान्य दर)	श्रेणी	राजधानी	शताब्दी	सामान्य
1.	रू. 10,000/– प्रतिमाह पर इससे अधिक ग्रेड वेतन तथा एच.ए.जी. वेतनमान पाने वाले समस्त अधिकारी	500/–	400/–	300/–	श्रेणी ए	ए.सी. प्रथम श्रेणी	एक्सीक्यूटिव क्लास	रेल की उच्चतम श्रेणी
2.	रू. 7600/– से अधिक किन्तु रू. 10,000/– प्रतिमाह से कम ग्रेड वेतन पाने वाले समस्त अधिकारी	300/–	250/–	200/–	श्रेणी बी	ए.सी. 2 टीयर	ए.सी.चेयर कार	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकुलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
3.	रू. 4400/– से अधिक किन्तु रू. 76,000/– प्रतिमाह से कम ग्रेड वेतन पाने वाले शासकीय सेवक	200/–	150/–	125/–	श्रेणी सी	ए.सी. 3 टीयर	ए.सी. चेयर कार	रेल की उच्चतम श्रेणी, वातानुकुलित प्रथम श्रेणी को छोड़कर
4.	रू. 2400/– से अधिक किन्तु रू. 4400/– प्रतिमाह से कम ग्रेड वेतन पाने वाले शासकीय सेवक	150/–	100/–	80/–	श्रेणी डी	–	–	शयनयान श्रेणी, (वातानुकूलित नहीं) एवं वातानुकूलित कुर्सीयान
5.	रू. 2400/– से कम ग्रेड वेतन पाने वाले शासकीय सेवक	100/–	80/–	60/–	श्रेणी ई	–	–	शयनयान श्रेणी, (वातानुकूलित नहीं)

स्थानांतरण पर घरेलु परिवहन की दर अनुदान

सड़क द्वारा ढुलाई दर		अनुदान
श्रेणी ए	18/– रू.	रू. 8000/–
श्रेणी बी	18/– रू.	रू. 6000/–
श्रेणी सी	15/– रू.	रू. 5000/–
श्रेणी डी	9/– रू.	रू. 4000/–
श्रेणी ई	5/– रू.	रू. 2000/–

बस यात्राः–

- ए, बी, सी, श्रेणी शासकीय सेवक को वातानुकुलित बस से यात्रा पात्रता।
- श्रेणी डी वाले शासकीय सेवक गैर वातानुकुलित डीलक्स, सुपर डीलक्स और वीडियोकोच की पात्रता।
- श्रेणी ई पाने वाले शासकीय सेवक फास्ट पैसेंजर सुपर एक्सप्रेस जैसे तेज गाड़ियों से यात्रा कर सकते हैं।

हवाई यात्राः–

- एच.ए.जी. वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी। देश के अंदर एक्जीक्यूटिव क्लास की पात्रता होगी।
- रू. 8700/– या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकानामी क्लास से यात्रा के
- रू. 7600/– या अधिक किन्तु 8700/– से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु इकानामी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

शासकीय सेवक, यदि 6 माह के अंदर एक से अधिक स्थानों पर स्थानांतरण होता है तो पुराने मूल स्थान से सामान का परिवहन कर सकता है तथा उसे केवल एक मुश्त स्थानांतरण अनुदान की पात्रता होगी।

स्वयं की कार से ए, बी, श्रेणी को	रू. 10 प्र. कि.मी.	टैक्सी से रू. 14/–प्रति कि.मी.
स्वयं की कार से सी श्रेणी को	रू. 10 प्र. कि.मी.	टैक्सी से रू. 12/–प्रति कि.मी.
स्वयं की मोटर सायकल/स्कूटर से	रू. 4 प्र. कि.मी.	
इसके अतिरिक्त साधन	रू. 1 प्र. कि.मी.	

जब दोनों स्थान रेल से जुड़े हों तो रेल टिकट से किराया सीमित किया जाएगा। टैक्सी यात्रा में टैक्सी रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

मुख्यालय भत्ता :– मुख्यालय से बस, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट तक जाने एवं वापस मुख्यालय पहुँचाने हेतु आधा–आधा दैनिक भत्ता मिलेगा। स्वयं की वाहन या किराये के वाहन उपयोग करने पर नहीं मिलेगा। शासकीय वाहन उपयोग पर चौथाई भत्ता मिलेगा।

दैनिक भत्ता (मुख्यालय से अनुपस्थिति):–

6 घंटे से कम	कोई दैनिक भत्ता नहीं
12 घंटे से कम किन्तु 6 घंटे से कम नहीं	आधा दैनिक भत्ता
24 घंटे से कम किन्तु 12 घंटे से कम नहीं	एक दैनिक भत्ता

राज्य के अंदर यात्रा हेतु प्रवास स्थान पर सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस निवास हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

	आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)			स्थानीय परिवहन प्रतिदिन		
	एक्स	वाय	जेड	एक्स	वाय	जेड
ए	7500	2000	1000	1000	500	300
बी	5000	1500	750	800	400	250
सी	2000	750	375	400	250	150
डी	1000	500	250	200	150	100
ई	500	250	125	100	75	50

राज्य के बाहर की यात्रा हेतु प्रवास स्थान पर सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस निवास हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

	आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)		स्थानीय परिवहन प्रतिदिन	
	एक्स	वाय/ जेड	एक्स	वाय/जेड
ए	9000	6000	1000	600
बी	6000	4000	800	500
सी	2400	2000	400	250
डी	1200	1000	300	200
ई	1000	800	150	100

स्थानीय यात्राओं के लिए माइलेज किराया की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। शासकीय कार्य संपादित किया हो, मुकाम की अवधि 6 घंटे से कम तथा आंशिक रूप से शासकीय वाहन का उपयोग न किया हो।